अध्याय ।
राजस्व विभाग-सीमाशुल्क राजस्व

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के द्वारा उदभूत सभी ऋण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्तियों से बने हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व) 2014-15 और वि.व 2013-14 के संघ सरकार के संसाधनों का सार चित्रित करती हैं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन		**(₹ करोड़ में)**
	वि.व 2014-15	**वि.व 2013-14**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	16,66,717	15,36,024
*i. **प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां***	*6,95,792*	*6,38,596*
*ii. **अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां**[1]*	*5,49,343*	*5,00,400*
*iii. **गैर कर प्राप्तियां***	*4,19,982*	*3,93,410*
*iv. **सहायता अनुदान एवं अंशदान***	*1,600*	*3,618*
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां[2]	37,740	29,368
ग. कर्जे तथा अग्रिमों[3] की वसूली	26,547	24,549
घ. लोक ऋण प्राप्तियां[4]	42,18,196	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**59,49,200**	**55,84,907**
स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखें। अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों को संघ वित्त लेखों से संगणित किया गया था। कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे अभ्यर्पित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल आय का भाग वि.व.2014-15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि.व. 2013-14 में ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल है।		

स्रोत: वि.व. 2014-15 के संघ वित्त लेखें

[1] सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि जैसे माल एवं सेवाओं पर उदग्रहीत अप्रत्यक्ष कर

[2] इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल है;

[3] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली;

[4] भारत सरकार द्वारा आंतरिक रूप के साथ-साथ बाह्य रूप से उधारियां;

1.1.1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व. 2013-14 में ₹ 55,84,907 करोड़ से वि.व. 2014-15 में ₹ 59,49,200 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वि.व. 2014-15 में इसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 16,66,717 करोड़ थी जिनमें ₹12,45,135 करोड़ की सकल कर प्राप्तियां शामिल है।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंध हैं और इस अर्थ में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा लेन-देन विशेष हैं। संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत प्रमुख अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्न हैं:

क) सीमा शुल्क: भारत में माल के आयात और भारत से बाहर कुछ माल के निर्यात पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)। सीमा शुल्क की भी महत्वपूर्ण सीमा एवं विनियम नियंत्रण भूमिका है।

ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: यह शुल्क भारत में माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उद्ग्रहीत किया जाता है। मानव खपत हेतु मादक शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवा और मादक पदार्थों को छोड़कर परन्तु चिकित्सीय तथा अल्कोहल, अफीम आदि वाले प्रसाधन सम्पाकों सहित भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित तम्बाकू तथा अन्य माल पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत करने की संसद को शक्तियां हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ग) सेवा कर: सेवाकर कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी गई सेवाओं पर सेवा कर उदग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी गई सेवाओं पर सेवा कर एक कर है। वित्त अधिनियम की धारा 66 बी परिकल्पना करती है कि ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को करयोग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत कर होगा और ऐसी रीति में संग्रहीत होगा जैसा निर्धारित किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए की गई के महत्व (उनमें वर्जित मदों के अतिरिक्त) के किसी कार्यकलाप के अर्थ के लिए और घोषित सेवा योग्य क्षेत्र को शामिल करने के

लिए वित्त अधिनियम की धारा 65बी (44) में "सेवा" परिभाषित की गई है (संविधान की सांतवी अनुसूची की लिस्ट 1 की प्रविष्टि 97)।

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

एमओएफ का राजस्व विभाग (डीओआर), सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्डों नामतः, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सीमा शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा जांच की जाती है।

इसके अतिरिक्त, डीओआर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के अधिकार क्षेत्र में आने की सीमा तक), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मादक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएसए), तस्कर एवं विदेशी मुद्रा जोड़-तोड़ (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 (एसएएफईएमए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (एफईएमए) और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), काला धन शोधन निवारक अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) एवं आसूचना, प्रवर्तन, लोकपाल एवं अर्द्धन्यायिक कार्यों के लिए संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी उत्तरदायी है।

सीबीईसी के पूरे संस्वीकृत स्टाफ की संख्या 91,807[5] है (1 जुलाई 2015 तक)। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा वित्त मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट, 2015 में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृति एवं संघटन

निम्नलिखित तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 15 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि प्रस्तुत करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जीडीपी[6] में अप्रत्यक्ष करों की शेयर प्रतिशतता 4 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी।

[5] एचआरडी महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े (1 जुलाई 2015 तक सी. शुल्क, के. उ. शु एवं सेवाकर)

[6] स्रोतः संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे, जीडीपी जून 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए जीडीपी के आंकड़े।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व. 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	44
वि.व. 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44
वि.व. 13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	46
वि.व. 14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	44
वि.व. 15	5,49,343	1,25,41,208	4.38	12,45,135	44

स्रोत: वित्तीय लेखे, वि.व. 15 के आंकड़े अनन्तिम है

वित्तीय वर्ष 15 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर पिछले पांच वर्षों में 4.4 प्रतिशत के औसत से कम थी। वि.व. 15 के कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर का भाग पिछले पांच वर्षों के औसत 44 प्रतिशत के बराबर था। इस अवधि के दौरान जीडीपी में 61 प्रतिशत की वृद्धि और सकल कर राजस्व में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने अप्रत्यक्ष करों में बहुत अधिक रेशनलाइजेशन और कटौती दर्शायी। जीडीपी वि.व. 11 में 77.95 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 15 में 125.41 लाख करोड़ (61%) हो गई जबकि अप्रत्यक्ष कर वि.व. 11 में ₹ 3.45 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 15 में ₹ 5.49 लाख करोड़ (60%) हो गया।

1.5 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि-प्रवृति और संघटन

नीचे दी गई तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 15 के दौरान संपूर्ण और जीडीपी के संबंधों में सीमाशुल्क राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	सीमाशुल्क प्राप्तियां	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व	सकल कर के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व.11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,35,813	1.74	17	40
वि.व.12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,49,328	1.66	17	38
वि.व.13	1,01,13,281	10,36,235	4,74,728	1,65,346	1.63	16	35
वि.व.14	1,13,55,073	11,38,996	5,00,400	1,72,033	1.52	15	34
वि.व.15	1,25,41,208	12,45,135	5,49,343	1,88,016	1.50	15	34

स्रोत: वित्त लेखे, वि.व. 14 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

वि.व. 14 एवं वि.व. 15 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में वि.व. 11 में 40 प्रतिशत से घटकर वि.व. 15 में 34 प्रतिशत हो गई। सकल कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 11 में 17 प्रतिशत से वि.व. 15 में 15 प्रतिशत तक की कमी आई। सकल कर एवं अप्रत्यक्ष करों के अनुपात के रूप में सीमा शुल्क वि.व. 14 में 15 प्रतिशत और 34 प्रतिशत पर रहा।

1.6 वित्त वर्ष 11 से वित्त वर्ष 15 के लिए भारत का निर्यात तथा आयात

निर्यातों में वि.व. 14 में 17 प्रतिशत (₹ 2,70,692 करोड़) और वि.व. 11 में 35 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 15 के दौरान 0.45 प्रतिशत (₹ 8,663 करोड़) की वर्ष दर वर्ष कमी (-) दर्ज की गई है (तालिका 1.4 नीचे दी गई है)।

तालिका 1.4: भारत का निर्यात एवं आयात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्ति	वृद्धि %	** %	निर्यात	वृद्धि %	व्यापार असंतुलन	% #
वि.व.11	1683467	23	135813	63	5	1142922	35	-540545	32
वि.व.12	2345463	39	149328	10	4	1465959	28	-879504	37
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	4	1634319	11	-1034843	38
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	4	1905011	17	-810423	30
वि.व. 15	2737087	0.80	188016	9	4	1896348	-0.45	-840739	31

स्रोतः ईएक्सआईएम डाटा, वाणिज्य विभाग, **(आयात+निर्यात) प्रतिशत के रूप में सीमाशुल्क प्राप्तियाँ, # आयात के प्रतिशत में व्यापार असंतुलन

सीमा शुल्क प्राप्तियाँ पिछले पांच वर्षों में कुल व्यापार के औसत 4 प्रतिशत पर स्थिर रही। पिछले पांच वर्षों में आयात में 39 प्रतिशत (वि.व. 12) से 0.80 प्रतिशत (वि.वि. 15) उतार-चढ़ाव रहा। आयात में पिछले वर्ष के 2 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 46,272 करोड़) की तुलना में 0.08 प्रतिशत की मामूली वृद्धि (₹ 21,653 करोड़) दर्ज की गई। वि.व. 14 की तुलना में उच्चतर व्यापार असंतुलन के साथ नकारात्मक निर्यात वृद्धि हुई थी। पिछले पांच वर्षों में आयात वृद्धि और निर्यात कमी में कोई तालमेल प्रतीत नहीं होता। व्यापार असंतुलन में वि.व. 13 में 38 प्रतिशत से वि.व. 15 में 31 प्रतिशत तक कमी आई जो पिछले पांच पर्षों में वि.व. 14 में न्यूनतम 30 प्रतिशत के निकट था।

1.7 कर आधार

सीमा शुल्क राजस्व आधार में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)[7] के साथ जारी आयातक और निर्यातक शामिल हैं। जुलाई 2015 तक 65011 वैध आइईसी हैं। विदेश व्यापार प्रबंधन के लिए 391 आयात बंदरगाह हैं (98 ईडीआई, 72 गैर-ईडीआई, 41 मैन्युअल एवं 180 एसईजेड) एवं 359 निर्यात बंदरगाह (115 ईडीआई, 74 गैर ईडीआई, 37 मैनुअल और 133 एसईजेड) हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 18.96 लाख करोड़ निर्यात (92,62,011 संव्यवहार) एवं ₹ 27.37 लाख करोड़ के आयात (75,22,430 संव्यवहार) किया गया था। अठारह व्यापार करारों[8] द्वारा कुछ प्रकार के टैरिफ रियायत, छोड़े गये राजस्व (₹ 4,97,945 करोड़) के साथ सीमाशुल्क प्राप्तियाँ (₹ 1,88,016 करोड़) कर लेखापरीक्षा का आधार हैं।

1.8 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

निम्नलिखित तालिका 1.5 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.5: आयात एवं सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	वृद्धि %	आयात % में सीमा शुल्क प्राप्तियां	शुल्क की उच्चतर दर
वि.व.11	1683467	23	135813	63	8.1	10
वि.व. 12	2345463	39	149328	10	6.4	10
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	6.2	10
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	6.3	10
वि.व. 15	2737087	1	188016	9	6.9	10

स्रोतः संघ बजट, एक्जिम डाटा-वाणिज्य मंत्रालय

मूल्य आयातों में वृद्धि में कच्चे तेल और पण्यों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी कमी के कारण एक प्रतिशत की गिरावट आई। आयातों के मूल्य की सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.2 से 8 प्रतिशत के बीच औसतन 6.8 प्रतिशत रही। वि.व. 15 में यह 6.9 प्रतिशत थी।

वि.व. 15 के दौरान आयात मूल्य की वृद्धि एक प्रतिशत रही जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों में नौ प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

[7] आईईसी डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।
[8] http://commerce.nic.in/trade/international

1.9 विभागीय निष्पादन की निगरानी

राजस्व विभाग के पास परिणामी ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी)[9] नहीं हैं। परिमाण योग्य निष्पादन सूचकों के अभाव के कारण राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन को मापने की कार्यप्रणाली ज्ञात नहीं है। राजस्व विभाग ऐसे जवाबदेही केन्द्रों (आरसी) और पांच बड़े विभागों के साथ समस्त वित्त मंत्रालय के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट तैयार करता है।

1.10 सीमा शुल्क प्राप्तियों में बजटीय मुद्दे

निम्नलिखित तालिका 1.6 बजट और संशोधित प्राकलन की तुलना में वास्तविक सीमाशुल्क प्राप्तियाँ दर्शाती है।

तालिका 1.6: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक और बजट अनुमानों में अन्तर	वास्तविक एवं बजट अनुमानों में अन्तर की %	वास्तविक एवं संशोधित अनुमानों में अन्तर की %
वि.व. 11	115000	131800	135813	(+)20813	(+)18.10	(+)3.04
वि.व. 12	151700	153000	149328	(-)2372	(-)1.56	(-)2.40
वि.व. 13	186694	164853	165346	(-)21348	(-)11.43	(+)0.30
वि.व. 14	187308	175056	172033	(-)15275	(-)8.16	(-)1.73
वि.व. 15	201819	188713	188016	(-)13803	(-)6.84	(-)0.37

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में प्रतिवर्ष गिरावट के बावजूद सरकार ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आशावादी परिकल्पना जारी रखी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण में प्रतिशतता का अंतर (-) 11.43 प्रतिशत से (+) 18.10 प्रतिशत के बीच था, जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है। वास्तविक प्राप्तियों से संशोधित अनुमान भी (-) 3.97 प्रतिशत से (+) 3.04 प्रतिशत तक भिन्न थे।

मंत्रालय सीमा शुल्क राजस्व में पूर्वानुमान कार्यप्रणाली सहित 2014-15 में बीई आरई और वास्तविक में अंतर के कारण बताए।

[9] मंत्रिमंडल सचिवालय की ''निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस)'' के अन्तर्गत आरएफडी तैयार करना अपेक्षित है।

1.11 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत छोड़ा गया सीमा शुल्क राजस्व

केन्द्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए शुल्क छूट की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई इन दरों को ''प्रभावी दरों'' के रूप में जाना जाता हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रकार छोड़े गए राजस्व का भुगतान किये जाने योग्य शुल्क एवं छूट अधिसूचना जारी होने और संबंधित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क के बीच अन्तर रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया राजस्व = मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)

तालिका 1.7: सीमाशुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमाशुल्क प्राप्तियां	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोडा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोडा गया राजस्व+ प्रतिदाय+ डीबीके	सीमा शुल्क प्राप्तियों के % के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व. 11	135813	230131	3474	9001	242606	179
वि.व. 12	149328	285638	3202	12331	301171	202
वि.व. 13	165346	298094	3031	17355	318480	193
वि.व. 14	172033	326365	4501	18539	349405	203
वि.व. 15	188016	465618	5051	27276	497945	265

स्रोत: संघ प्राप्तियाँ बजट, सीबीईसी डीडीएम, सीबीईसी

सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 15 में 265 प्रतिशत पर उच्चतम था (तालिका 1.7)। पिछले पांच वर्षों के दौरान यह 179 से 265 प्रतिशत के बीच था। पण्यों पर छोड़े गए राजस्व के साथ-साथ छोड़े गए कुल राजस्व वि.व. 15 में पिछले 5 वर्षों में ₹ 2.43 हजार करोड़ से ₹ 4.98 हजार करोड़ तक दोगुना हो गया था। पिछले 5 वर्षों में फिरती में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि प्रतिदायों में केवल 47 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वि.व. 15 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 78 प्रतिशत कीमती

धातुओं और उससे बनी वस्तुओं, खनिज तेल और लौह एवं इस्पात आदि पर था।

तालिका 1.8: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया राजस्व

योजना का नाम	छोड़ी गई राशि/संवितरित					₹ करोड़
	वि.व.11	वि.व. 12	वि.व.13	वि.व. 14	वि.व. 15 (कुल की %)	
1. शुल्क फिरती सेज को छोड़कर	9001	12331	17422	21799	26998	(29)
2 अग्रिम लाइसेंस	19355	18306	18971	20956	23461	(26)
3. . केंद्रित उत्पाद योजना (एफपीएस)	1209	3056	4579	7640	10083	(11)
4. . ईपीसीजी	10621	9672	11218	8990	8010	(9)
5. सेज	8668	4567	4503	6206	4752	(5)
6. अन्य *	22174	20564	15649	17261	18660	(20)
कुल	71028	68496	72342	82852	91964	
सीमाशुल्क प्राप्तियों की %	**52**	**46**	**43**	**48**		**49**

*अन्य में ईओयू/ईएचटी/एसटीपी, डीएफआईए योजनायें, एफएमएस, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), टारगेट प्लस योजना, स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप योजना (एसएचआईएस), भारत सेवित योजना (एसएफआईएस), डीईपीबी (सेज़ को छोड़कर), डीएफईसीसी योजना, डीएफआरसी इत्यादि।

स्रोत: डाटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 15 के दौरान निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व सीमा शुल्क प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 11 से वि.व. 15 के बीच योजनावार छोड़ा गया राजस्व शुल्क 52 प्रतिशत से 43 प्रतिशत के बीच था (उपरोक्त तालिका 1.8)।

वि.व. 15 के दौरान शीर्ष पांच योजनाएं जिन पर शुल्क छोड़ा गया वे शुल्क फिरती योजना, अग्रिम लाइसेंस योजना, केंद्रित उत्पाद योजना, ईपीसीजी, और सेज़ थीं। योजनाओं के अंतर्गत इन पांच योजनाओं में कुल छोड़े गए शुल्क की गणना 80 प्रतिशत के लिए की गई।

वि.व. 15 के दौरान शुल्क फिरती योजना के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के मध्य उच्चतम था। इसमें वि.व. 11 के बाद से नियमित उर्ध्वगामी वृद्धि हुई थी और यह वि.व. 14 और वि.व. 15 में अग्रिम लाइसेंस योजना में अधिक हो गई थी। अग्रिम लाइसेंस योजना और

उत्पाद केंद्रित योजना के तहत छोड़े गए राजस्व में वि.व. 12 के बाद से वृद्धि आई। ईपीसीजी योजना के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व को वि.व. 11 से वि.व. 15, वि.व. 14 को छोड़कर, के दौरान निर्यात वृद्धि से जोड़ा गया था।

विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, व्यापार करारों और सामान्य छूटों का परिणामी राजस्व निर्धारण बजट दस्तावेज के भाग के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया।

1.12 सीबीईसी में मानव संसाधन प्रबंधन

महानिदेशक, मानव संसाधन विकास का गठन नवम्बर 2008 में किया गया जो संवर्ग प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन (सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर का) क्षमता निर्माण, नीतिगत दृष्टि विकास और 91,807 की संख्या (1 जुलाई 2015 तक) वाले कल्याण एवं संरचनात्मक डिवीजन से संबंधित विशिष्ट भूमिका निभाता है 2013 में संवर्ग पुनर्गठन के पश्चात, मंत्रालय द्वारा कुल 18067 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दिए गए पद शामिल थे (दिसम्बर 2013) ताकि:

क. अप्रत्यक्ष कर में जीडीपी के अनुपात में वृद्धि की जा सके;

ख. सभी पत्तनों और लेन-देन को शामिल करने वाला एक मजबूत आरएमएस हो;

ग. अधिकारी एवं कर्मचारी आईसीईएस का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों;

घ. तकनीकी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ सुदृढ़ हों।

सीबीईसी के आरएफडी वि.व. 15 में उपरोक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण कार्यकलापों को कवर किया गया है। मापन और सफलता सूचकों को स्व निर्धारण, ओएसपीसीए, आरएमएस और आईसीटी, आईसीईएस के उपयोग तथा अन्य करों से अंत संबंध और क्षमता अंतरालों को भरने हेतु उपयुक्त दक्षता के साथ मानव संसाधन की पुन: संरचना और पुनर्आबटन को आवश्यक बनाने वाली सरकार की विदेश नितियों के मामले में सरकार द्वारा पहले लिए गए नीति निर्णयों के साथ नहीं जोड़ा गया है।

कई अनुस्मारकों के बावजूद भी सीबीईसी ने वि.व. 15 के दौरान अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में नहीं बताया।

1.13 बकाया सीमाशुल्क

निम्नलिखित तालिका 1.9 मार्च 2014 तक मांगे गए लेकिन वि.व. 15 की समाप्ति तक विभाग द्वारा वसूल नहीं किए गए सीमाशुल्क का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.9: सीमा शुल्क की बकाया राशि

₹ करोड़

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				
	5 वर्ष से कम	5 वर्ष लेकिन 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	5 वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अहमदाबाद सीमाशुल्क	2039	88	69	2196	465	465	265	1195	3390
चेन्नई सीमाशुल्क	1700	291	28	2019	174	258	246	678	2697
दिल्ली	989	53	43	1085	641	169	31	841	1926
बैंगलुरू सीमाशुल्क	1465	134	4	1603	142	39	14	195	1798
मुम्बई-I	755	106	11	872	437	271	212	920	1715
वाइजाग	1422	39	29	1490	111	16	50	178	1667
मुम्बई-III	923	262	41	1226	126	83	35	244	1470
दिल्ली सीमाशुल्क (निवारक)	865	94	01	960	127	33	32	192	1152
उप जोड़	10158	1067	226	11451	2223	1387	775	4443	15815
अन्य	2272	746	129	3146	728	695	403	1768	4993
कुल योग	**12430**	**1813**	**355**	**14597**	**2951**	**2082**	**1178**	**6211**	**20808**
								प्रतिशतता मे कुल बकाया के लिए मुख्य आठ क्षेत्र का बकाया	**76%**

स्रोत: मुख्य आयुक्त, बकाया कर वसूली, केंद्रीय उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क एवं सेवाकर

मार्च 2015 तक मांगे गये ₹ 20,808 करोड़ का सीमाशुल्क राजस्व विभाग द्वारा वि.व. 15 की समाप्ति तक नहीं वसूला गया था (तालिका 1.9)। जिसमें से ₹ 6,211 करोड़ गैर-विवादित था। तथापि गैर-विवादित राशि में से ₹ 3,260 करोड़ (कुल बकाये का 53प्रतिशत) की राशि पांच वर्षों के बाद भी नहीं वसूली गई। वि.व. 15 के दौरान कुल लंबित बकाये में शीर्ष आठ क्षेत्रों में सीमाशुल्क राजस्व बकाया 76 प्रतिशत था। विभाग के वसूली तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

1.14 वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 15 तक संग्रहण लागत

निम्नलिखित तालिका 1.10, 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्षीय वित्तीय अवधि हेतु संग्रहण लागत को दर्शाती है।

तालिका: 1.10, वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 15 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व, आयात/निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा लेखा और अन्य व्यय को स्थानांतरण	जोड़	सीमाशुल्क प्राप्तियां	सीमाशुल्क प्राप्तियों की % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.11	293	1421	5	1719	135813	1.27
वि.व.12	306	1577	5	1888	149876	1.26
वि.व.13	315	1653	10	1979	165346	1.20
वि.व.14	333	1804	5	2142	172033	1.25
वि.व.15	382	2094	20	2496	188016	1.33

स्रोत: वित्त लेखें

प्राप्तियों**,** संग्रहण लागत के संदर्भ में व्यक्त प्रतिशतता 1.20 प्रतिशत(वि.व. 13) से 1.33 प्रतिशत (वि.व. 15) के बीच थी (तालिका 1.10) स्वचालन और आईटीसी के व्यापक उपयोग के बावजूद संग्रहण की लागत पिछले पांच वर्षों में वि.व. 15 में उच्चतर थी। सीबीईसी ने लेखापरीक्षा को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित संग्रहण की समग्र लागत में आरक्षित निधि और जमा खाता और अन्य व्यय की गणना के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं कराई थी।

1.15 कर लेखांकन एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

1.15.1 वर्ष 2015 की अवधि के लिए पीसीसीए, पीएओज, सीमाशुल्क कमिश्नरी के कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में कर लेखांकन, नियंत्रणों तथा समाधान की लेखापरीक्षा से पता चला कि प्रणाली कुछ कमियों से ग्रस्त थी। पीएओ के राजस्व आकड़ों के साथ संबंधित कमिश्नरी के मुख्य लेखा अधिकारियों के आंकड़ों के मिलान न करने (₹ 5319.24 करोड़), प्रतिदाय आंकड़ों के मिलान न करने (₹ 2465.96 करोड़), प्रदत्त सीमा शुल्क के लिए बैंक डाटा के साथ आइसगेट डाटा की असमानता के मामले (₹ 1166.53 करोड़), पीएओ (सीमा शुल्क) में प्राप्त प्रत्यक्ष चालानों के अलग से शिक्षा उपकर के ब्यौरों की अनुपलब्धता, सीएएस, आरबीआई, नागपुर (₹ 3.84 करोड़) द्वारा तैयार किए गए तिथिवार मासिक

विवरणों (डीएमएस) और अंतिम रूप दिए गए विवरणों (पीटीएस) के बीच विसंगतियों ₹ 20.75 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियों के प्राप्ति शीर्ष में हस्तांतरण हेतु प्रतीक्षा और 2011-15 की अवधि के लिए पीएओ (सीमा शुल्क), नई दिल्ली, कोलकाता, कांडला, तिरूचिरापल्ली, चेन्नई और तुतीकोरिन में आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के मामले देखे गए थे।

विभाग ने यह दावा करते हुए असमानता के लिए कारण नहीं दिए कि इसके पास आईसगेट के माध्यम से ई-भुगतानों के ब्यौरें नहीं थे और यह एनआईसी से डाटा प्राप्त करने के बाद ही प्रतिक्रिया दे सकता था। इसने यह भी पाया कि गुम चालानों के रजिस्टर और बैंक स्क्रोल के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

1.15.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए), सीबीईसी, सीबीईसी के विभिन्न भुगतान एवं लेखाकरण कार्यों की लेखापरीक्षा करता है। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, फिर भी प्रधान सीसीए की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ₹ 34670.68 करोड़[10] के सकल मूल्य के 475 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरों का लंबन दर्शाया गया था।

प्रधान सीसीए की लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व. 15 तक स्थापना लेखापरीक्षा बिंदुओं के अलावा निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल है।

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पक्षकारों/स्वायत्त निकायों से बकाया की वसूली न करना, ₹ 16192.69 करोड़

ख) सरकारी धन का अवरोधन; ₹ 7387.90 करोड़

ग) निष्क्रिय मशीनरी/अधिशेष भंडार; ₹ 71.72 करोड़

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके जोखिम निर्धारण के अनुरूप नियंत्रण आधारित आश्वासन प्रदान नहीं करता।

1.16 डीजी (लेखापरीक्षा), सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा

सीमाशुल्क विभाग को 1994 में आईसीईएस शुरू करके कम्प्यूटरीकृत किया गया जिसे बाद में आईसीईएस 1.5 संस्करण (2009) में अपग्रेड किया गया।

[10] प्रधान सीसीए डीओ पत्र सं. आईए/एनजेड/एचक्यू/सीएजी इन्फो/2015-16/198 दिनांक 18 सितम्बर 2015

इस प्रणाली में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अधिसूचना आदि जैसे विभिन्न जोखिम कारकों की पहचान करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू की गई है। कम्प्यूटराइजेशन से आयातित माल के साथ साथ निर्यातित माल की प्रक्रिया के निर्धारण में सुधार और शुल्क की गलत गणना, टैरिफ दरों के लागू करने, छूट अधिसूचना के लागू करने, सामान्यः माल के गलत वर्गीकरण में अनियमितताओं को कम करना अपेक्षित है।

तालिका 1.11: वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा

₹ करोड़

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षा	पता लगाया गया शुल्क	वसूल शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में पता	पता लगाई गई % के रूप में वसूल किया गया शुल्क	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में वसूल किया गया शुल्क
वि.व.11	323399	548	447	0.40	82	0.32
वि.व.12	525406	439	459	0.29	105	0.31
वि.व.13	446911	1824	1058	1.10	58	0.64
वि.व.14	494393	294	223	0.17	76	0.13
वि.व.15	441068	4.45	3.50	0.002	79	0.001

स्रोतः लेखापरीक्षा महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

विभागीय लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन और अकुशलता का पता लगाता है और कमियों पर उपचारी कार्यवाही शुरू करता है। प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने इस विषय पर वर्तमान में नये अनुदेश जारी किये। उपरोक्त तालिका 1.11 वि.व. 11 से वि.व.15 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियां दर्शाती है।

1.17 कर अपवंचन, जांच और जब्ती

शुल्क अपंवचन मामलों की प्रवृति में बढोतरी हुई है।

पिछले तीन वर्षों (वि.व. 13 से वि.व.15) के दौरान संख्या एवं राशि दोनों के मामलों में अपवंचन की प्रवृत्ति घट रही है जैसा कि **अनुबंध 1** में दिखाया गया है। उसी अवधि के दौरान शुल्क अपवंचन मामले 709 से घटकर 407 और ₹ 4,743 करोड़ से ₹ 2,926 करोड़ हो गए थे। रोचक रूप से यह वह अवधि भी थी जब विभिन्न आईसीटी सुधार उपयोग में थे और स्वः निर्धारण,

आरएमएस पर आधारित पीसीए और आसूचना ओएसपीसीए के प्रति एक क्रमिक शिफ्ट के साथ प्रारंभ किया गया था।

डीआरआई इकाई (सीबीईसी) ने वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान ₹ 13335.61 करोड़ वाले 2889 कर अपवंचन के मामलों का पता लगाया। सम्मिलित उत्पाद मुख्यतः सेकेण्ड हैंड मशीनरी, इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं, मेमोरी कार्ड, हेलिकॉप्टर, आटोमोबाइल और इसके अनुषंगी, हीरे थे।

1.18 निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति

वि.व. 11 से वि.व. 15 **(अनुबंध 2)** की अवधि के दौरान निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती की संवीक्षा के दौरान पता चला कि निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती में अनियमित प्रवृत्ति थी। वि.व. 12 और 14 के दौरान अचानक वृद्धि हुई थी। अवधि से जब्ती योजना आधारित शुल्क अपवंचन में घटती हुई प्रवृत्ति सहित टैनडम में 0.20 प्रतिशत (वि.व. 11) से आयातों के मुल्य के 0.10 प्रतिशत (वि.व. 15) तक कम हुई थी **(अनुबंध 1)**।

यह देखा गया था कि अखिल भारतीय स्तरों पर जब्ती कि कुल राशि क्रमशः ₹ 2475.70 करोड़ से ₹ 2029.18 करोड़ तक हो गई थी। अधिकतम वृद्धि नशीली दवा, मशीनरी/पुर्जे, फैबरिक/सिल्क धागा आदि इलैक्ट्रानिक मदों, वाहन/पोत/एयरक्रॉफ्ट आदि में देखी गई थी। ऐसा, टैरिफ यौक्तिकीकरण और बढ़ते हुए मुक्त व्यापार, सरलीकरण एवं निगरानी के बावजूद था।

1.19 सीमाशुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा

सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कारगर बनाना और विभिन्न व्यापार सुविधा उपाय लागू करना जारी रखा। स्वनिर्धारण मुख्य व्यापार सुविधा उपाय है जो उत्पाद शुल्क और सेवाकर विभाग के मामले में साक्ष्य के रूप में सीमाशुल्क द्वारा आयातित/निर्यात माल की निकासी हेतु लिए जाने वाले समय में महत्वपूर्ण कमी कर सकता है। उठाए गए कुछ कदमों में ईडीआई की शुरूआत से आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए 'स्वनिर्धारण' और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की वृद्धि की कवरेज जोखिम पैरा मीटरों और आन साईट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) पर आधारित

याहच्छिक रूप से चयनित बिलों की एंट्री पर निर्धारण करना सम्मलित है। आयात और निर्यात कार्गों की निकासी में सीमाशुल्क के हस्तक्षेप के स्तर को निरंतर कम करने का अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त एईओ (प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर) और बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुविधा हेतु प्रारंभ किया गया है। शीघ्र संस्वीकृति और 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के लिए सामान्य रूप से लागू और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए क्रिया विधि ने 30 दिनों के निर्धारित समय में पूर्व लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की संस्वीकृत को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्क्रिपों जैसे डीईपीबी/पुरस्कार योजनाओं द्वारा प्रदत्त 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के उपयोग में ऐसे स्क्रिपों के हस्तगत पंजीकरण द्वारा छूट दी गई है। सीमित बंदरगाहों पर समय विमोचन अध्ययन संचालित किया गया। यह देखा गया कि आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) सभी समीशुल्क लेन-देन पर लागू नहीं था।

1.20 सीमाशुल्क प्रक्रिया व्यापक रूप से कंप्यूटरीकृत और सभी सरलीकरण उपायों की पूरक है। आयात और निर्यात दस्तावेजों को सीमाशुल्क के आईसीईजीएटीई पोर्टल में ई-फाईल करना चाहिये जो सीबीईसी के आईसीईएस 1.5 प्रणाली में संसाधित है। आईसीईएस को कोर आईसीटी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था जिसके माध्यम से आयात और निर्यात दस्तावेजों को राजस्व संग्रहण करने के लिये निर्धारण और मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित करने के लिये संसाधित किया जाना था। सरकार समय-समय पर शुल्क दरों में परिवर्तन, शुल्कों और करों को लगाने और छूट, मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन आदि के लिये विभिन्न अधिसूचनाएं जारी करती है। इसी तरह, आयात और निर्यात के लिये लाइसेंसिंग प्रक्रिया डीजीएफटी द्वारा कंप्यूटरीकृत है (डीजीएफटी ईडीआई)। इसी प्रकार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आयात और से निर्यात सेज ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत पोर्टल के माध्यम से सेज द्वारा व्यवास्थित किया जाता है। योजना और निर्धारण आदेशों पर ईडीआई सीमाशुल्क डाटा के आधार पर लेखापरीक्षा आपत्तियों को संबंधित अध्यायों में प्रतिवेदित किया गया है।

1.20.1 अन्य बातों के साथ-साथ सेज ऑनलाइन प्रणाली ने 2014-15 में निर्यात मूल्य (₹ 232944.79 करोड़), डीटीए बिक्री (₹ 51474.94 करोड़), डीटीए खरीद (₹ 59118.68 करोड़), आयात मूल्य (₹ 233460.58 करोड़) और छोड़ा गया शुल्क (₹ 22569.08 करोड़) के लिये डाटाबेस को प्राप्त, अनुरक्षण और प्रबंधित किया गया। एप्लीकेशन की लेखापरीक्षा से पता चला कि प्राप्त किया गया डाटा अपूर्ण और अनुचित था और समय-समय पर सीबीईसी की आईसीईएस प्रणाली के साथ जोड़े बिना गलत था। डीओसी और डीसी सेज भी अपने डेशबोर्ड और एमआईएस के रूप में प्रणाली का लाभ नहीं ले सके।

यद्यपि डीओसी ने प्रणाली में कमियों/अभाव को सुधारने का आश्वासन दिया (जून 2014), अनियमितताऐं अभी तक (सितम्बर 2015) थीं।

1.20.2 डीजीएफटी का ईडीआई डाटा चार डाटाबेस, अर्थात् डीजीएफटीएमएआईएन, डीजीएफटीआरएलए, ईबीआरसी और डीजीएफटी में रखा जाता है। यद्यपि पहले तीन प्रकार केंद्रीय डाटाबेस का सेट बनाते हैं और नई दिल्ली में एनआईसी डाटा केन्द्र में रखे जाते हैं, डीजीएफटी नाम का डाटाबेस प्रत्येक 36 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (आरएलए) के स्थानीय सर्वर में रखा जाता है। प्रत्येक आरएलए का 'डीजीएफटी' डाटाबेस अंतिम रूप से सेन्ट्रल सर्वर में एकत्रित होता है।

एप्लीकेशन की लेखापरीक्षा से पता चला कि एफटीपी प्रावधानों के अनुचित या अपर्याप्त पता लगाना, प्रविष्ट डाटा के वैधीकरण में कमी, डाटा में बहुत अधिक मैनुअल हस्तक्षेप और संशोधन के लिये अनुमति; महत्वपूर्ण दर निर्देशिकाओं का गलत अद्यतन, आईसीईएस डाटा का खराब सिंक्रोनाईजेशन से संबंधित मामले अभी भी थे। कुछ मामलों को नीचे बताया गया है:

i. लेखापरीक्षा ने देखा कि मैनुअल रूप से प्रविष्ट एसबी डाटा में समान शिपिंग बिलों के लिये सीमाशुल्क द्वारा आपूर्ति किये गये डाटा की तुलना में अंतर था। 3,72,458 एसबी अभिलेख मैनुअल रूप से प्रविष्ट किये गये थे, यह देखा गया कि 15691 मामलों (4 %) में, मैनुअल डाटा में प्रविष्ट एफओबी मूल्य में सीमाशुल्क द्वारा प्रदान किये गये मूल्य से अंतर था। निर्यात का एफओबी मूल्य जो कि शुल्क क्रेडिट के प्रदान करने के लिए आधार है, ₹ 608.66 करोड़ राशि के 2580 मामलों में अधिक पाया गया। एफओबी

मूल्य में 13,111 मामलों में ₹ 401.75 करोड़ की राशि की भी कमी पाई गई थी। अध्याय 3 योजनओं के लिए एफपीएस और एमएलएफपीएस के लिए एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत पर न्यूनतम अनुमत शुल्क क्रेडिट दर पर भी निवल एफओबी मूल्य में वृद्धि 15691 मामलों में ₹ 4 करोड़ की राशि के अधिक शुल्क क्रेडिट लाभ के प्रदान करने में परिवर्तित होती है। 2,389 मामलों में निर्यात के सीमाशुल्क पत्तन में हस्त्य परिवर्तन भी देखा गया था।

ii 2014-15 की अवधि के लिए वीकेजीयूवाई स्क्रिप अभिलेखों की मदों के अभिलेखों के साथ तुलना से उत्पाद कोड 90/22सी और 90/22डी के तहत न आने वाली विशिष्ट डीईपीबी दरों को आकृष्ट करते हुए पता चला कि वीकेजीयूवाई योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट 44 मामलों में लागू 3 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की अनुमत दरों से घटी दरों के गैर-प्रतिबंध के कारण अनुमत था।

iii प्रास्थिति धारकों और उनकी प्रास्थिति प्रमाण-पत्रों की लेखापरीक्षा से पता चला कि 59 मामलों में फर्मों की एसएचआईएस शुल्क स्क्रिप जारी किए गए थे जहां डीजीएफटी लाइसेंसिग डाटाबेस में उनका प्रास्थिति/प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण उपलब्ध नहीं हैं।

डीजीएफटी ने 2015 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 8 (अध्याय 8) में समान आपत्तियों के उत्तर (नवम्बर 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा आपत्तियॉं उनकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए दूर तक जाएगीं। तथापि, (सितम्बर 2015) में अनुवर्ती लेखापरीक्षा में, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में नियमित कमियॉं देखी गईं।

1.21 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

आरएमएस की क्षमता बहिर्वासियों की दशार्यी गई और सभी एयर कार्गों, सुमुद्री बंदरगाहों और भू-पत्तनों, एसईजेड/ईओयू के आईसीटी की प्रयोज्यता की कवरेज में वृद्धि पर निर्भर करती है। इसमें गैर-ईडीआई बंदरगाह और एवं इडीआई बंदरगाह में सभी फिलिंग शामिल नहीं है। आरएमएस द्वारा चिन्हित आयात और निर्यात लेन-देन की संख्या की तुलना में वित्तीय वर्ष 14 और 15 के दौरान आयात और निर्यात लेन-देन तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन

आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन	वि.व. 14	वि.व 15
आयात की संख्या	16,21,734[#] (23.24 %)	18,12,765 (24 %)
निर्यात	3,20,047[#] (03.80 %)	18,10,718 (20 %)
कुल लेन-देन (आयात)	69,15,958*	75,22,430
कुल लेन-देन (निर्यात)	84,11,542*	92,62,011

स्रोतः [#]जोखिम प्रबंधन डिवीजन, डीआरआई सीबीईसी, *एमओसी, और उद्योग भारत सरकार

वि.व. 15 के दौरान कुल आयात एवं निर्यात के प्रति आयात में 18.13 लाख का लेन-देन (24 प्रतिशत) और निर्यात में 18.11 लाख (20 प्रतिशत) को लेन-देन चिन्हित किया गया है।

1.22 ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए) योजना

ओएसपीसीए के प्रारम्भ करने के पश्चात, एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से कम कर दी थी जबकि दूसरी ओर, ओएसपीसीए पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 15 के दौरान 519 नियोजित लेखापरीक्षा में से ओएसपीसीए के अंतर्गत 113 ईकाईयां संचालित की गई जिनके परिणामस्वरूप ₹ 4.73 करोड़ के कम उद्ग्रहण का पता लगा जिसमें से ₹ 2.38 करोड़ की वसूली की गई।

1.23 24X7 सीमाशुल्क निकासी परिचालन

आयातों एवं निर्यातों को सुविधा देने के उद्देश्य से आयात एवं निर्यात की निम्न श्रेणियों के संदर्भ मे ज्ञात एयर कार्गो परिसरों (चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली एवं बैंगलोर) एवं बंदरगाह (कांडला, जेएनपीटी, चेन्नई, और बैंगलोर) में 1 सितम्बर 2012 से प्रभावी बोर्ड ने 24X7 सीमा शुल्क निकासी प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया था:

क. जहां कोई जांच और मूल्यांकन आवश्यक न हो, प्रविष्टि के बिल प्रदान करना; और

ख. मुफ्त लदान बिल द्वारा शामिल फैक्टरी स्टफ्ड एक्सपोर्ट कंटेनर और निर्यात परेषण।

व्यापार को आगे सुविधा देने के उद्देश्य हेतु, 24X7 सीमा शुल्क निकासी संचालन का कवरेज चार ऐयर कार्गो परिसरों में निर्यात परेषण को कवर करने के लिए बढ़ाया गया। आगे, चयनित आयात और निर्यात दस्तावेजों के लिए

24X7 सेवाएं ईडीआई पर कार्य कर रहीं 13 और एयरकार्गो परिसर तक बढ़ा दी गई हैं (मई 2013)। यह सुविधा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे विमानपत्तनों तक बढ़ा दी गई है।

1.24 एकल विंडो सीमा शुल्क निकासी

लेन-देन के मूल्य एवं समय को कम करने के साथ-साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से एकल विंडो योजना का कार्यान्वयन सीमाशुल्क के साथ इसे कार्यान्वित करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी होने की वजह से सीबीईसी द्वारा संप्रत्ययीकरण किया गया है।

सीमा शुल्क में एकल विंडो का उद्देश्य व्यापारियों को इलैक्ट्रोनिक रूप से सामान्य घोषणा फाईल करने और आयातित/निर्यातित माल की निकासी प्रक्रिया में लगी अन्य विनियामक एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। एकल विंडो व्यवस्था के अंतर्गत, अन्य विनियामक एजेंसियों से संबंधित फील्ड्स/सूचना डाटा, सीमाशुल्क द्वारा अनुमत होने से पूर्व मंजूरी/इनपुट पाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है।

1.25 सीमा नियंत्रण एवं सरलीकरण मुद्दे

लेखापरीक्षा में यह देखा गया है कि भूमि, वायु और समुद्री सीमा शुल्क स्टेशनों पर सीमाशुल्क एजेंसियों को उपलब्ध अवसंरचना सदैव पर्याप्त एवं उचित नहीं होती।

वायु और समुद्री पत्तनों की तरह से, एक संस्थानिक ढाँचा जैसे कि भारत के भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई अधिनियिम 2010) भी स्थापित किया गया था और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/सेवा संभरकों के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एकल उत्तरदायी एजेंसी सहित एक कॉम्प्लेक्स में एक एकीकृत रूप में नियामक और सहायता कार्यों के लिए एकीकृत सीमाशुल्क पत्तन (आईसीपीज़) के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

सीमा-शुल्क के सीमा नियंत्रण कार्यों को प्रभावित करते हुए सुरक्षा निहितार्थों सहित स्थानीय जोखिम प्रबंधन (एलआरएम) इनपुट, डीआरआई द्वारा यथोचित समर्थित इन सीमा शुल्क स्टेशनों और आईसीपीज़ के पास बकाया मुद्दे हैं

उदाहरणत: फुल बॉडों ट्रक स्कैनर उपलब्धता, यात्री टर्मिनल पर यात्री सामान और यात्रियों की जांच की अपर्याप्त प्रणाली; सोने/कीमती पत्थरों की शुद्धता की जांच करने का कोई तन्त्र नहीं; सोने की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बावजूद तस्कर संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त बल की कमी, एक्स-रे/गैर हस्तक्षेप जांच (एनआईआई) तकनीकों की सुविधा का अभाव, कीमती कार्गो सीमा शुल्क निकासी (पीसीसीसी) का आईसीईएस कवरेज, विदेशी पत्तन अधिकारी (एफपीओ), हैंड बेगेज; मूल्यांकन डाटाबेस के निदेशालय तक पहुँच आदि। प्राय: इसके कारण अप्राधिकृत माल की तस्करी और/अथवा सरलीकरण का अभाव।

सीमा नियंत्रण/सरलीकरण पर पत्तन अवसंरचना में वांछित संवर्धन न होने का समग्र प्रभाव निम्नलिखित परिदृश्य के अन्तर्गत महत्ता पाते है जहाँ:

- सुरक्षा/सरलीकरण उद्देश्यों के लिए उपकरण/अवसंरचना के लिए पत्तन प्राधिकरणों के किसी भी संवर्धन के लिए सीमाशुल्क विभाग ने कोई भी औपचारिक अनुरोध नहीं किया था।
- सीमाशुल्क विभाग ने विशेष संवर्धनों के लिए परिभाषित और अभी स्वीकृत आवश्यकता के लिए अनुरोध किया था, किंतु उसे पत्तन प्राधिकरणों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।
- सीमा शुल्क विभाग की पारिभाषित और अभीस्वीकृत आवश्यकता के लिए पत्तन प्राधिकरणों द्वारा विशेष संवर्धन को स्वीकार किया गया है किंतु उन पर समय पर कार्य नहीं किया गया।

1.26 लेखापरीक्षा प्रयास एवं सीमाशुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रबन्धन मानकों के लेखापरीक्षण मानक के 2रें संस्करण 2002, का प्रयोग करके नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा, 2014 के अनुसार किया गया था।

1.27 जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

वाणिज्यिक विभाग और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में डीओआर में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच, सीबीईसी के साथ संघ सरकार लेखे से डाटा, एक्ज़िम डाटा डीओसी, डीजीएफटी (ईडीआई) डाटा, सेज़ ऑनलाइन डाटा डीओसी,

सीमाशुल्क का वार्षिक आयात/निर्यात डाटा (सीबीईसी) सिंगल साइन ऑन (एसएसओ आईडी) आधारित आईसीईएस 1.5 एक्सेस का उपयोग किया गया था। (सीबीईसी) के एमआईएस, एमटीआर के साथ-साथ अन्य पणधारकों की रिपोर्टों का उपयोग किया गया। हमारे पास महानिदशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्होंने वि.व. 15 में 415 इकाइयों की लेखापरीक्षा का प्रबन्धन किया और 2175 लेखापरीक्षा आपत्तियां जारी की। कई अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी महानिदेशक (प्रणाली), सीबीईसी द्वारा डाटा डायरेक्टरी के अनुसार 2014-15 में आयात एवं निर्यात हेतु आईसीईएस 1.5 की लेन-देन स्तर की तिथि नहीं बताई गई थी। सीआरए मॉड्यूल में लेन-देन डाटा के मैक्रो विश्लेषण और आवधिक विश्लेषण के लिए प्रबन्ध नहीं किया हैं।

दिसम्बर 2015 तक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई और उसकी स्थिति का विवरण तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई सुधारात्मक कार्रवाई

प्रतिवेदन संख्या.	सीबीईसी, सीमाशुल्क		डीओसी	
	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए
2006 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7	1	0	0	0
2009-10 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 20	0	0	1	0
2010-11 का सीए 24	1	0	0	0
2013 की सीए 14	1	0	1	1
2014 की सीए 12	5	9	3	2
2015 की सीए 8	1	38	0	6
कुल	**9**	**47**	**5**	**9**

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग

वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 1162 करोड़ के 120 पैराग्राफ और दो विषयगत पैराग्राफ हैं। इसमें सामान्यत: छः प्रकार की अश्युक्तियां थीं: गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना का गलत लागू करना; अधिसूचना की शर्तें पूरा न करना; गलत गणना के कारण गलत छूट; योजना आधारित छूट; प्रणालीगत मुद्दों और नीति निर्धारण मामलों के अलावा सीमाशुल्क का गलत निर्धारण। विभाग/मंत्रालय ने पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई की हैं जिसमें कारण बताओं नोटिस जारी करने के

रूप में कारण बताओं नोटिस के अधिनिर्णय और कुछ मामलों में सूचित की गई वसूली के 80 पैराग्राफों **(अनुबंध 3)** के मामले में ₹ 81.58 करोड़ का धन मूल्य शामिल है।

1.28 लोक लेखा समिति (पीएसी)

लोक लेखा समिति ने 'आईसीईएस 1.5', विशिष्ट आर्थिक जोन और 'नार्कोटिक्स पदार्थों का प्रबंधन (राजस्व विभाग)', जब्त और अधिग्रहण सामानों के निपटान, सार्वजनिक एवं निजी बांड वाले वेयरहाउस और जाँच/ चर्चा हेतु सामान्य छूट अधिसूचनाओं के गलत लागू करने के हेतु तीन लंबे पैराग्राफों की निष्पादन समीक्षा की। राजस्व/वाणिज्य विभाग के लिए पीएसी की अग्रिम प्रश्नावली व्यापक तौर पर कर नीति के स्तरों, प्रशासन और कार्यान्वयन पर आधारित है। इसमें अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी, योजना परिणाम के साथ-साथ पूर्व में अपर्याप्त मॉनिटरिंग भी देखी गई है।

1.29 सीएजी की लेखापरीक्षा, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई की प्रतिक्रिया

गत पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित) में हमने ₹ 5615 करोड़ के 654 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका 1.14)।

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

₹ करोड़

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ								की गई वसूली			
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद						मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.वि.11	118	131	102	99	29	18	131	117	56	18	3	4	59	22
वि.वि.12	121	62	108	48	11	11	119	59	79	30	14	3	93	33
वि.वि.13	139	1832	100	66	27	29	127	95	63	17	12	8	75	25
वि.वि.14	154	2428	104	42	10	4	114	46	65	16	0	0	65	16
वि.वि.15	122	1162	80	82	0	0	80	82	61	22	0	0	61	22
कुल	**654**	**5615**	**494**	**337**	**77**	**62**	**571**	**399**	**324**	**103**	**29**	**15**	**353**	**118**

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सरकार ने ₹ 82 करोड़ वाले 80 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और ₹ 22 करोड़ की वसूली की थी।